



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082024-256038
CG-DL-E-03082024-256038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/ श्रावण 11, 1946

No. 435]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/ SHRAVANA 11, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 474(अ).— केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) (संशोधन) मॉडल नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 में, नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) अध्यक्ष या सदस्य, राज्य आयोग या जिला आयोग की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् उस आयोग के समक्ष वकालत नहीं करेंगे।”

[फा. सं. जे-10/8/2018-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 451 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2024.

G.S.R..474(E).— In exercise of the powers conferred under proviso to sub-section (1) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Model Rules, 2020, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) (Amendment) Model Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Model Rules, 2020, in rule 11, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The President or Member shall not practice before the State Commission or the District Commission, after retirement from the service of that Commission.”

[F. No. J-10/8/2018-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 451 (E), dated the 15th July, 2020